

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-323 / 11
संस्थित दिनांक-03.08.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

माखन सिंह पुत्र हीरालाल यादव,
निवासी ग्राम पाडरी,

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 21.05.2018 को घोषित)

- 01-अभियुक्त माखन के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 354, 323 (दो शीर्ष) एवं अभियुक्त साकू के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 323 (दो शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि दिनांक 01.02.2011 को समय शाम 07:00 बजे स्थान फरियादी गीताबाई के घर के सामने ग्राम पाडरी में अभियुक्त माखन ने गीताबाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया कर अभियुक्त माखन व साकू ने फरियादी गीताबाई एवं वीरन सिंह के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.02.2011 को शाम 07:00 करीब फरियादिया गीताबाई घर के बाहर खड़ी थी, तभी माखन आया और आते ही एकदम बुरी नियत से गीताबाई का हाथ पकड़ लिया, गीताबाई ने छुड़ाने लगी, तो बाये हाथ की चूड़ियां फूट गईं, और माखन बोला की तेरे को घरवाली बनाकर रखूंगा। गीताबाई चिल्लाई तब वीरन सिंह, अतलबाई, नत्थू सिंह आ गये, माखन ने गीताबाई के दोनों पैरों में डंडा मार दिया, वीरन पकड़ने लगा तो तो वीरन के सिर में डंडा मार दिया। मौके पर माखन का भाई साकू आ गया, साकू ने गीताबाई व वीरन की डंडा मारकर माखन को साथ में ले गया। फरियादी गीताबाई द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 63/2011 अंतर्गत धारा-354, 323, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.05.2018 को फरियादी गीताबाई एवं दिनांक 21.05.2018 को आहत वीरन के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदनों अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा.द.वि. की धारा 323 दो शीर्ष (गीताबाई एवं आहत वीरन के संबंध में) के

तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त माखन पर आरोपित भा.द.वि. की धारा 354 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त माखन के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354 के तहत विचारण किया गया।

04— अभियुक्त माखन को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त माखन का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त माखन ने दिनांक 01.02.2011 को समय शाम 07:00 बजे स्थान फरियादी गीताबाई के घर के सामने ग्राम पाडरी में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अपने समर्थन में फरियादी गीताबाई (अ0सा0-04) सहित साक्षी वीरन (अ0सा0-01) नत्थू सिंह (अ0सा0-02) कप्तान सिंह (अ0सा0-03) एवं डॉक्टर आर. पी. शर्मा (अ0सा0-05) के कथन न्यायालय में कराये गये। गीताबाई अभियुक्त माखन ने दिनांक 01.02.2011 को समय शाम 07:00 बजे स्थान फरियादी गीताबाई के घर के सामने ग्राम पाडरी में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया अभियुक्त माखन ने दिनांक 01.02.2011 को समय शाम 07:00 बजे स्थान फरियादी गीताबाई के घर के सामने ग्राम पाडरी में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया (अ0सा0-04) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि आरोपीगण उसी के घर और परिवार के है, तीन-चार साल पहले उसकी आरोपीगण से कहा-सुनी हो गई थी तथा इसके अलावा अन्य कोई घटना नहीं हुई और उसने उक्त कहा सुनी की रिपोर्ट भी पुलिस थाना चंदेरी में जाकर की थी

07— फरियादियां गीताबाई (अ0सा0-04) का पति वीरन (अ0सा0-01) अभियुक्त माखन ने दिनांक 01.02.2011 को समय शाम 07:00 बजे स्थान फरियादी गीताबाई के घर के सामने ग्राम पाडरी में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं ससुर नाथू सिंह (अ0सा0-02) भी अपने कथनों में गीताबाई (अ0सा0-04) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि करते हुये आरोपीगण से गीताबाई का तीन-चार साल पहले बातचीत होना बताता हैं तथा इन साक्षियों के अनुसार भी इस घटना के अलावा अन्य कोई बात आरोपीगण और फरियादी के मध्य नहीं हुई। कप्तान

सिंह (अ0सा0-03) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि तीन साल पहले वीरन ने उसे फोन पर बताया था, अपने परिवार में विवाद होने के संबंध में बताया था।

- 08— फरियादिया गीताबाई (अ0सा0-01) सहित अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये घटना के सभी साक्षियों ने तीन चार साल पहले आरोपीगण से गीताबाई (अ0सा0-01) की कहासुनी व विवाद होने की तो पुष्टि की है, परन्तु फरियादी सहित किसी भी साक्षी का आरोपित अपराध के संबंध में अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना नहीं है कि अभियुक्त माखन ने घटना में फरियादी गीताबाई (अ0सा0-01) की लज्जा भंग करने के आशय से घटना में उसका हाथ पकड़ लिया था। फरियादी गीताबाई (अ0सा0-01) स्वयं मात्र कहा सुनी की घटना होना बताती है तथा इसी बात की रिपोर्ट पुलिस को लेख कराना बताती है।
- 09— वीरन यादव (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट बताया है कि आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की और न ही उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। वहीं नाथू सिंह (अ0सा0-02) व कप्तान सिंह (अ0सा0-03) का भी ऐसा कहीं भी कहना नहीं है कि माखन ने गीताबाई (अ0सा0-01) की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़ा था। आरोपित अपराध के संबंध में फरियादी गीताबाई (अ0सा0-01) सहित किसी भी साक्षी के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं जिसके परिणाम स्वरूप अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु अभियोजन के द्वारा किये गये साक्षियों के परीक्षण से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
- 10— फरियादी गीताबाई (अ0सा0-01) जो कि घटना में मुख्य पीडित है, मात्र अभियुक्तगण से कहा-सुनी होना बताती है तथा इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्त माखन के द्वारा घटना में बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया गया था। गीताबाई (अ0सा0-01) ऐसी कोई घटना की रिपोर्ट न तो प्रदर्श पी 04 में पुलिस को लेख करना बताती है और न ही इस संबंध में पुलिस को प्रदर्श पी 05 के कथन देना बताती है। फरियादियां का पति वीरन (अ0सा0-01) अपने प्रतिपरीक्षण में ही यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त माखन ने गीताबाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, वही अन्य साक्षी भी मात्र घटना में बातचीत होना बताते हैं।
- 11— अतः ऐसे में फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभिलेख पर अभियुक्त माखन के विरुद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त माखन घटना दिनांक को फरियादी गीताबाई (अ0सा0-04) के लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़ा था। परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्त माखन ने दिनांक 01.02.2011 को समय शाम 07:00 बजे स्थान फरियादी

गीताबाई के घर के सामने ग्राम पाडरी में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

12—फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त माखन सिंह पुत्र हीरालाल यादव के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 354 आरोपित दण्डनीय अपराध में आरोप प्रमाणित न होने से, अभियुक्त माखन सिंह पुत्र हीरालाल यादव को भा०द०वि० की धारा 354 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

13—अभियुक्त माखन का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त माखन के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ ।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)